



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 1812 /40/76/एक/2019-20

दिनांक: 06/06/2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
सम्बन्धित जनपद।

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी०एल०सी०) के अन्तर्गत जनपद द्वारा अपलोड की गई लाभार्थियों की सूचना के आधार पर अभिकरण मुख्यालय द्वारा "Paid by Higher Level Agency A/C" के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक (बी०एल०सी०) में जनपद द्वारा योजनान्तर्गत पीएफएमएस पोर्टल पर जनपदवार लाभार्थियों की संख्या/सूची इस आशय से अपलोड की गई थी कि योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की धनराशि शासन के निर्देशानुसार लाभार्थी के खाते में सीधे स्थान्तरित की जाये। तदक्रम में जनपद द्वारा निम्न विवरणानुसार पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के क्रम में "PAID BY HIGHER LEVEL AGENCY A/C" के द्वारा धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खाते में निम्नविवरणानुसार प्रेषित की जा चुकी है:

(धनराशि ₹० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			
			प्रथम स्तर धनराशि ₹० 50000.00 प्रति लाभार्थी	द्वितीय स्तर धनराशि ₹० 150000.00 प्रति लाभार्थी	तृतीय स्तर धनराशि ₹० 50000.00 प्रति लाभार्थी	कुल धनराशि (₹०) में
1	बाराबंकी	2	0	2	0	257075
2	बाराबंकी	12	0	12	0	1800000
	योग	14	0	14	0	2057075
3	बुलन्दशहर	150	150	0	0	7500000
	योग	150	150	0	0	7500000
4	एटा	88	0	0	88	4400000
	योग	88	0	0	88	4400000
5	गाजीपुर	35	0	0	35	1750000
	योग	35	0	0	35	1750000
6	गाजियाबाद	1	0	1	0	150000
7	गाजियाबाद	280	0	0	280	1400000
	योग	281	0	1	280	14150000
8	कासगंज	44	44	0	0	2200000
9	कासगंज	11	11	0	0	550000
10	कासगंज	22	22	0	0	1100000
11	कासगंज	27	27	0	0	1350000
12	कासगंज	10	10	0	0	500000
13	कासगंज	9	9	0	0	450000
14	कासगंज	15	15	0	0	750000
15	कासगंज	3	3	0	0	150000

क्र० सं०	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान हेतु प्रस्तावित धनराशि जनपद से पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की गई सूचना के अनुसार			
			प्रथम स्तर धनराशि रु० 50000.00 प्रति लाभा०	द्वितीय स्तर धनराशि रु० 150000.00 प्रति लाभा०	तृतीय स्तर धनराशि रु० 50000.00 प्रति लाभा०	कुल धनराशि (रु०) में
16	कासगंज	21	0	21	0	3150000
	योग	162	141	21	0	10200000
17	कौशाम्बी	8	8	0	0	400000
	योग	8	8	0	0	400000
18	जौनपुर	420	420	0	0	21000000
	योग	420	420	0	0	21000000
19	लखनऊ	30	30	0	0	1500000
20	लखनऊ	6	0	0	6	300000
21	लखनऊ	39	39	0	0	1950000
22	लखनऊ	32	0	32	0	4800000
23	लखनऊ	3	0	0	3	150000
	योग	110	69	32	9	8700000
24	रामपुर	182	0	182	0	27300000
25	रामपुर	818	818	0	0	40900000
	योग	1000	818	182	0	68200000
26	संतकबीरनगर	29	0	0	29	1450000
27	संतकबीरनगर	91	0	91	0	13650000
	योग	120	0	91	29	15100000
28	श्रावस्ती	115	0	0	115	5750000
29	श्रावस्ती	4	0	0	4	197100
	योग	119	0	0	119	5947100
30	सोनमद्र	26	0	26	0	2913150
31	सोनमद्र	106	0	106	0	15900000
	योग	132	0	132	0	18813150
32	उन्नाव	10	10	0	0	500000
33	उन्नाव	472	472	0	0	23600000
	योग	482	482	0	0	24100000
	कुल योग	3121	2088	473	560	202317325

1. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किये जाने के उपरान्त अभिकरण को निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण सहित प्रमाण पत्र प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. लाभार्थी को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी द्वारा प्रश्नगत कार्य नियमानुसार किये गये हैं तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि लाभार्थी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. के अनुरूप पात्र हैं।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :-

1. श्री योगेश आदित्य, सहायपरि० अधिकारी/वेबमास्टर/श्री नवीन अग्रवाल, सूडा।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण सम्बन्धित जनपद।
4. अपर निदेशक/निदेशक महोदय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

